

1. Drilling of tube wells / HP Installation / PWSS

मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ.16-7/99/2/34,  
प्रती

भोपाल, दिनांक 29 जून 1999

1. प्रमुख अभियंता ,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
भोपाल(म.प्र.)
2. समस्त मुख्य अभियंता ,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ,  
परिक्षेत्र.....(म.प्र.)
3. समस्त अधीक्षक यंत्री,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंडल,  
(म.प्र.)
4. समस्त कलेक्टर ,  
जिला.....(म.प्र.)
5. समस्त कार्यपालन यंत्री,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
खण्ड.....(म.प्र.)

विषय:- सांसद/विधायक निधी से स्थापित हैण्डपंप का संसाधन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा करने विषयक .

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सांसद/विधायक निधी से स्थापित हैण्डपंपों का संसाधन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जायेगा. अतः निर्णयके पालन में समुचित कार्यवाही की जावे

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-  
(एम. बी. केरहालकर)  
अपरसचिव,  
मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
भोपाल दिनांक 29 जून 1999

पृ.क्र.एफ.16-7/99/2/34,  
प्रतिलिपि :

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल.

हस्ता./-  
अपर सचिव ,  
मध्य प्रदेश शासन ,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.